



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

आर.सी. यादव
R.C. YADAV
आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
INTERNAL AUDIT OFFICER

दूरभाष /Phone : + 91-7152-232 994
फैक्स /Fax : + 91-7152-232 994

फा.सं.: 002/2013/वे.क./95/ 619
दिनांक: 15.01.2015

परिपत्र

विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर वर्ष 2013-14 के अनुसार विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश 1 मई, 2014 से 13 जून, 2014 तक रहा है। उक्त अवधि में अध्यापकगण ग्रीष्मावकाश पर रहते हैं।

FRSR-II Transport Allowance के अनुसार अवकाश, प्रशिक्षण, दौरा इत्यादि के दौरान पूरे कैलेंडर मास तक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर परिवहन भत्ता (Transport Allowance) देय नहीं होगा।

अतः उक्त प्रावधान के अनुसार मई, 2014 में ग्रीष्मावकाश पर रहने वाले कर्मियों को भुगतान की गई परिवहन भत्ता राशि की वसूली जनवरी, 2015 के वेतन में से की जा रही है। तथापि शेष अन्य प्रकरणों में भी वेतन व सेवा-पुस्तिका की जाँच के उपरांत यदि ऐसा भुगतान पाया गया तो उसकी वसूली निकट भविष्य में की जाएगी।

Ryadew
(आर.सी. यादव) 15.1.15